**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3858**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन का संशोधन**

**3858.श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार का युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रभावी बना दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग) : अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा युद्ध जैसी स्थिति में शत्रु की कार्रवाई के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु के मामले दिनांक 31.01.2001 के पत्र के तहत रक्षा मंत्रालय की श्रेणी 'ङ' में आते हैं और इस प्रकार के मामलों से संबंधित परिवार के पात्र सदस्य उदारीकृत परिवार पेंशन(एलएफपी) के हकदार होते हैं ।

एलएफपी सहित सभी पेंशन संबंधी धनराशि को रक्षा मंत्रालय के दिनांक 29.10.2016 के पत्र, 2016 से पूर्व के मृत्यु मामलों हेतु दिनांक 05.09.2017 के पत्र के साथ पठित और 2016 के पश्चात मृत्यु के मामलों में दिनांक 04.09.2017 के पत्र के तहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में संशोधित किया गया है ।

इन आदेशों के संदर्भ में संशोधित पेंशन/परिवार पेंशन की धनराशि 01.01.2016 से लागू है ।

\*\*\*